*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–17/2014 165 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 27-2118

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम, मुजफ्फपुर क्षेत्रान्तर्गत मार्केट कम्प्लेक्स निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल राशि ₹61.66900 लाख (एकसठ लाख छियासठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन ।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम, मुजफ्फपुर क्षेत्रान्तर्गत मोतीझील रेलवे फ्लाई ओभर के नीचे विस्थापित 49 दुकानदारों के पुनर्वास हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में 50 यूनिट के मार्केट कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल राशि ₹61.66900 लाख (एकसठ लाख छियासठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०– 164 दिनांक– 27-2118 के आलोक में तत्काल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	मोतीझील रेलवे फ्लाई ओभर के नीचे विस्थापित 49 दुकानदारों के पुनर्वास हेतु 50 यूनिट के मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण।	61.66900	61.00000	0.66900

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित कुल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

5. आवंटित कुल राशि ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष, 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) ***यह स्वीकृति विस्थापितों के पुनर्वास हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में दी जा रही है। इसलिए इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।***

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–17/2014 165 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–27.3.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–17/2014 164 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–27-3-18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम, मुजफ्फपुर क्षेत्रान्तर्गत मार्केट कम्प्लेक्स निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल राशि ₹61.66900 लाख (एकसठ लाख छियासठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम, मुजफ्फपुर क्षेत्रान्तर्गत मोतीझील रेलवे फ्लाई ओभर के नीचे विस्थापित 49 दुकानदारों के पुनर्वास हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में 50 यूनिट के मार्केट कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल राशि ₹61.66900 लाख (एकसठ लाख छियासठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	मोतीझील रेलवे फ्लाई ओभर के नीचे विस्थापित 49 दुकानदारों के पुनर्वास हेतु 50 यूनिट के मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण।	61.66900	61.00000	0.66900

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०–

2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. स्वीकृत कुल राशि ₹61.00 लाख (एकसठ लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष, 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) ***यह स्वीकृति विस्थापितों के पुनर्वास हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में दी जा रही है। इसलिए इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।***

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०नि०–02–17/2014 के पृष्ठ सं०–08/टि० पर दिनांक–27.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–08/टि० पर दिनांक–27.03.2018 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–17/2014 164 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–27-3-18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।